कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 1164 / 14-1 दिनांक : आगरा : 11-9- ~~अगस्त~~, 2017

सेवा में,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
एच0पी0सी0एल0
85/4 इस्पात भवन
संजय प्लेस, आगरा।

विषय : आगरा में शमशाबाद–राजाखेड़ा मार्ग एम0डी0आर0–113 के किमी0 चैनेज 26.332 की बांई पटरी पर ग्राम एत्मादपुर अजनेरा के खसरा सं0–203 में एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किए जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.0744188 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : उत्तर प्रदेश का पत्राक पी–58/14–2–2017–800(48)/2017 दि0 18.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तो के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः आप शर्तो का अनुपालन निम्न प्रकार कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायें:–

1. वन भूमि के एक्सीलेशन/डी एक्सीलेशन के निर्माण के लिये वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट के आधार पर होगा।
2. सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगााय जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
3. फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1X1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
4. प्रस्ताव एजेंसी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो), के अतिरिक्त होगा।
5. प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 1.00 हे0 से कम होगा।
6. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत दि0 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 0.46586 लाख Compensatory Afforestation Fund (CAF), Management and Planning Authority में ई–पोर्टल द्वारा प्राप्त ई–चालान से जमा करें तथा प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
7. प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।

...वक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नही पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को क्षति पहुंचती है तो उसके लिये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

9. भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफसी(पीटी) दि0 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006 -IA-II(I) दि0 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।
10. उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि "यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करनी होगी"।
12. उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
13. इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश दि0 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।
14. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफसी दि0 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं का विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
15. प्रस्तावक विभाग द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केन्द्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या–एफ0एन0 संख्या–11–268/2014 एफ.सी. दि0 11.07.2014 में नये दिशा–निर्देश के अनुसार परियोजना का ले–आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।
16. प्रस्तावक के व्यय पर 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव हेतु रू0 2.46 लाख की धनराशि Compensatory Afforestation Fund (CAF) में ऑनलाईन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 1164 / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मित्तल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

Com-2/Draftman/letter120/ 192